

भारतीय न्याय संहिता, 2023

अधिनियम संख्या:

01 जुलाई 2024 को लागू हुआ

परिचय:

- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में संसद द्वारा अधिनियमित। इस अधिनियम ने पुराने दंड अधिनियम, यानी भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान ले लिया।
- इस अधिनियम में आपराधिक विधि के विभिन्न पहलू, जैसे अपराध, दंड, प्रक्रियात्मक पहलू आदि शामिल हैं।
- इस अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता के नाम से भी जाना जाता है।
- इस अधिनियम में 20 अध्याय और 358 धाराएँ हैं।
- यह एक मौलिक अधिनियम है क्योंकि भारतीय न्याय संहिता ("BNS") अपराधों की परिभाषा और प्रत्येक अपराध के लिए निर्धारित दंड से संबंधित विषय है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के निर्माण के दौरान प्रमुख घटनाएं

11 अगस्त 2023	भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 पेश किया।
12 दिसंबर 2023	भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 को वापस लेना और भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक 2023 को लोक सभा में पेश करना।
20 दिसंबर 2023	भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक 2023 लोकसभा में पारित।
21 दिसंबर 2023	भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित।
25 दिसंबर 2023	भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, 2023 को मंजूरी दी।

बीएनएस के नवीन धाराएं

2(3)	‘बालक
48	भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण
69	प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन
95	अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना,नियोजित करना या नियुक्त करना
103(2)	हत्या की दण्ड
106(2)	उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना
111	संगठित अपराध
112	छोटे संगठित अपराध
113	आतंकवादी कृत्य
117(3)/(4)	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
152	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य
195(2)	लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहा हो,तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना
197(1)(d)	राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान
226	विधिविरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न
304	क्षपटमारी
324(3)	रिष्टि
341(3)/(4)	धारा 338 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना
358	निरसन और व्यवृत्ति

बीएनएस द्वारा निरस्त की गई आईपीसी की धाराएं

14	“सरकार का सेवक”
18	भारत
50	“धारा”

53A	निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना
124A	राज्यद्रोह
153AA	किसी जुलूस में जान बूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना
236	भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण
237	कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात
238	भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात
264	तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग
265	खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग
266	खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना
267	खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना
309	आत्महत्या करने का प्रयत्न
310	ठग
311	दण्ड
377	प्रकृति -विरुद्ध अपराध
444	रात्रों प्रच्छन्न गृह -अतिचार
446	रात्रों गृह-भेदन
497	जारकर्म

अधिनियम का उद्देश्य:

आपराधिक व्यवहार को परिभाषित करने के साथ-साथ इसमें शामिल होने के परिणामों को भी परिभाषित किया गया है। अधिनियम में विभिन्न अपराधों और उनकी सज़ाओं का प्रावधान किया गया है।

CRITICISM:

भारतीय दंड संहिता की तरह, बीएनएस ने वैवाहिक बलात्कार अपवाद को बरकरार रखा है। इसमें लिंग-तटस्थ शब्द 'यौन हमला' के स्थान पर 'महिलाओं की शील भंग करना' जैसे मूल्य-युक्त वाक्यांश को

बरकरार रखा गया है। यह गैर-सहमति वाले अंतरंग चित्रों के पीड़ितों को अपर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें पुरुषों या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बलात्कार से जुड़े अपराधों के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है। 'भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता' को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए अपराध का प्रावधान अस्पष्ट है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने या असहमति को दबाने की क्षमता है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 को निम्नलिखित अध्यायों में विभाजित किया गया है:

अध्याय संख्या	धाराएं	अध्याय का नाम
अध्याय I	धारा 1 to 3	प्रारंभिक
अध्याय II	धारा 4 to 13	दण्डों के विषय में
अध्याय III	धारा 14 to 44	सामान्य अपवाद
अध्याय IV	धारा 45 to 62	दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास
अध्याय V	धारा 63 to 99	महिला और बालक के विरुद्ध अपराध
अध्याय VI	धारा 100 to 146	मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध
अध्याय VII	धारा 147 to 158	राज्य के विरुद्ध अपराध
अध्याय VIII	धारा 159 to 168	सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध
अध्याय IX	धारा 169 to 177	निर्वाचन संबंधित अपराध
अध्याय X	धारा 178 to 188	सिक्के, करेंसी नोटो, बैंक-नोट और सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध
अध्याय XI	धारा 189 to 197	लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध
अध्याय XII	धारा 198 to 205	लोक सेवक से संबंधित अपराध
अध्याय XIII	धारा 206 to 226	लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान

अध्याय XIV	धारा 227 to 269	मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध
अध्याय XV	धारा 270 to 297	लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध
अध्याय XVI	धारा 298 to 302	धर्म से संबंधित अपराध
अध्याय XVII	धारा 303 to 332	संपत्ति के विरुद्ध अपराध
अध्याय XVIII	धारा 335 to 350	दस्तावेजों और संपत्ति चिह्न से संबंधित अपराध
अध्याय XIX	धारा 351 to 357	आपराधिक अभिप्रास, अपमान,, मानहानि, आदि।
अध्याय XX	धारा 358	निरसन और व्यावृत्ति

अधिनियम में प्रमुख संशोधनों के मुख्य बिंदु:

शरीर के विरुद्ध अपराध:

संगठित अपराध, आतंकवाद, या किसी समूह द्वारा कुछ आधारों पर गंभीर चोट पहुँचाने जैसे नए अपराधों को शामिल किया गया है।

महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध:

गैंगरेप पीड़ितों के लिए आयु सीमा 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई। धोखे से या झूठे वादों से यौन संबंध बनाना अपराध माना गया।

- **राज्य के विरुद्ध अपराध:**

इसमें देशद्रोह को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसके स्थान पर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

- **आतंकवाद:**

इसमें राष्ट्रीय अखंडता को खतरा पहुँचाने वाले, सार्वजनिक धमकी देने वाले या लोक व्यवस्था में व्यवधान डालने वाले कार्य शामिल हैं और आतंकवाद को परिभाषित किया गया है।

- **संगठित अपराध:**

इसमें अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ज़मीन हड़पना, वित्तीय घोटाले और साइबर अपराध जैसे अपराध शामिल हैं।
संगठित अपराध करने या करने की कोशिश करने पर कठोर दंड का प्रावधान है।

- **भीड़ द्वारा हत्या:**

यह विधेयक पांच या अधिक लोगों द्वारा निर्दिष्ट आधारों (नस्ल, जाति, लिंग, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास) पर हत्या या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए एक नया अपराध प्रस्तुत करता है, इसमें धर्म शब्द शामिल नहीं है।
इसमें न्यूनतम सात वर्ष कारावास से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का प्रावधान है।

- **संपत्ति के विरुद्ध अपराध:**

इसमें साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे नए अपराध भी शामिल किए गए हैं।

- **जनता के विरुद्ध अपराध:**

इसमें पर्यावरण प्रदूषण और मानव तस्करी जैसे नए अपराध भी शामिल किये गये हैं।

- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:**

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को अपनाते हुए व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है।
आजीवन कारावास की सजा पाने वाले अपराधी द्वारा हत्या या हत्या के प्रयास के लिए मृत्युदंड के अतिरिक्त आजीवन कारावास की सजा भी जोड़ी गई है।

कुछ सूत्र जिनका उल्लेख आगे बढ़ने से पहले किया जाना चाहिए -

UBI EADEM RATIO IBI IDEM JUS.

-जैसा तर्क वैसा ही विधि बनाता है

कानून, "विशेष उदाहरणों और पूर्वनिर्णयों में नहीं, बल्कि विधि के कारण में, और ubi eadem ratio ibi idem jus में निहित है"; क्योंकि "कारण ही विधि का जीवन है; बल्कि, सामान्य विधि स्वयं और कुछ नहीं बल्कि कारण है; जिसे कारण की एक कृत्रिम पूर्णता के रूप में समझा जाना चाहिए, जो लंबे अध्ययन, अवलोकन और अनुभव से प्राप्त होती है, न कि हर व्यक्ति के प्राकृतिक कारण से।"

CESSANTE RATIONE LEGIS CESSAT IPSA LEX— तर्क विधि की आत्मा है, और जब किसी विशेष विधि का तर्क समाप्त हो जाता है, तो विधि भी समाप्त हो जाता है।

लैटिन सूत्र "सेसांटे रेशन लेजिस सेसैट इप्सा लेक्स"

जिसका अर्थ है "तर्क विधि की आत्मा है, और जब किसी विशेष विधि का तर्क समाप्त हो जाता है, तो विधि स्वयं भी समाप्त हो जाता है" भी उपयुक्त है।

अध्याय 1 प्रारंभिक

धारा 1: संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और आवेदन:

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **भारतीय न्याय संहिता, 2023** है
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और इस संहिता के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।
- (3) प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल **प्रत्येक कार्य या लोप के लिए**, जिसका **दंड के लिए उत्तरदायी होगा**, अन्यथा नहीं, जिसका वह **भारत के भीतर दोषी होगा।**
- (4) **भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो**, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा, मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था
- (5) इस संहिता के उपबन्ध--
- (क) **भारत से बाहर और परे किसी स्थान में** भारत के किसी नागरिक द्वारा ;
- (ख) **भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर**, चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा ;
- (ग) **भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर** किसी व्यक्ति द्वारा ;
- किए गये किसी अपराध को भी लागू हैं ।**
- स्पष्टीकरण--**इस धारा में “अपराध” शब्द के अन्तर्गत **भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है, जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता ।**
- दृष्टान्त**
- क, जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में, जहां वह पाया जाए, हत्या के लिए विचारित और दोषसिद्ध किया जा सकता है।

(6) इस संहिता में की कोई बात, भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दण्डित करने वाले किसी अधिनियम के उपबन्धों, या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबन्धों प्रभाव नहीं डालेगी।

बीएनएस की धारा 1 आईपीसी की धारा 1-5 के अनुरूप है।

धारा 106(2) को छोड़कर, इस संहिता के प्रावधान अधिसूचना संख्या एसओ 850(ई) दिनांक 23-2-2024 के अनुसार 1-07-2024 से लागू होंगे।

प्रवर्तनीयता -

प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र

भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दण्ड

1. हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दण्डनीय होगा, अन्यथा नहीं
2. वह व्यक्ति बी.एन.एस. के अंतर्गत किसी भी दंड का पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य या लोप न करे।

राज्यक्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार

देश के बाहर किए गए अपराधों के लिए दण्ड, लेकिन जिनका विधि द्वारा भारत के भीतर विचारण किया जा सकता है

(4) धारा 1 का उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है, जिसका भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार भारत से बाहर किए गए किसी अपराध के लिए विचारण किया जा सकता है।

ऐसे व्यक्ति के साथ बी.एन.एस. के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा, जब तक कि वह बी.एन.एस. के प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य या लोप न करे।

राज्यक्षेत्रातीत अपराधों के लिए बीएनएस का विस्तार- बीएनएस के प्रावधान निम्नलिखित द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर भी लागू होते हैं-

(a) भारत के बाहर और परे किसी भी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा

(b) भारत में पंजीकृत किसी भी पोत या विमान पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो

(c) भारत के बाहर और परे किसी स्थान में कोई भी व्यक्ति द्वारा जो भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर अपराध कर सकता है।

धारा 2:

परिभाषाएँ:

संगत प्रावधान -

बीएनएस की धारा 2 आईपीसी की धारा 8 से 12, 17, 19, 20 से 26, 28, 29, 29ए, 30 से 33, 39, 40 से 49 और 51 से 52ए के अनुरूप है।

आईपीसी में कोई परिभाषा खंड नहीं था। सभी व्याख्या खंड आईपीसी की धारा 8 से 52ए तक फैले हुए थे। इनमें से अधिकांश व्याख्या खंडों को बिना किसी बदलाव के बरकरार रखा गया है और पढ़ने और संदर्भ में आसानी के लिए वर्णमाला शब्दकोश अनुक्रम में बीएनएस की धारा 2 में संक्षिप्त रूप से समूहीकृत किया गया है।

धारा 2 में दी गई परिभाषा में किसी शब्द को दिया गया अर्थ तब भी लागू होगा जब उस शब्द का प्रयोग बीएनएस के किसी प्रावधान में किया जाएगा, जब तक कि उस प्रावधान के संदर्भ में उस शब्द को भिन्न अर्थ दिए जाने की आवश्यकता न हो।

उदाहरण के लिए, धारा 2(21) जंगम संपत्ति को इस तरह परिभाषित करती है कि इसमें अमूर्त संपत्ति भी शामिल हो। हालांकि, धारा 304(1) में "छीनने" के अपराध की परिभाषा के संदर्भ में, चल संपत्ति अमूर्त संपत्ति को कवर नहीं करेगी। धारा 304(1) में इस्तेमाल किए गए शब्द हैं "अचानक या जल्दी या बलपूर्वक किसी व्यक्ति या उसके पद से कोई चल संपत्ति जब्त या सुरक्षित या हड़पना या छीन लेना"। संदर्भ से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि धारा 304 के प्रयोजनों के लिए "चल संपत्ति" केवल मूर्त चल संपत्ति को कवर करेगी, न कि अमूर्त संपत्ति/संपत्ति को।

(1) "कार्य" कार्यों की एक आवलि का उसी प्रकार द्योतक है, जिस प्रकार एक कार्य का ;

स्पष्टीकरण: अधिनियम शब्द में एकल कार्य के रूप में कार्य या एकल कार्य बनाने वाले कार्यों की कोई श्रृंखला शामिल है। इस अधिनियम में जहाँ भी कार्य शब्द का उल्लेख किया गया है, वहाँ कार्य शब्द में न केवल एकल कार्य बल्कि कार्यों की श्रृंखला भी शामिल है। इस शब्द का प्रयोग एकवचन और बहुवचन दोनों अर्थों में किया गया है।

2(1) आईपीसी की धारा 32 और 33 के समरूप है

'कार्य' को बीएनएस की धारा 3(4) के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है।

(2) "जीवजंतु" से मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी अभिप्रेत है ;

2(2)आईपीसी की धारा 47 के समरूप है

(3) "बालक" से अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

यह एक नया बीएनएस प्रावधान है।

(4) "कूटकरण" कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद्वद्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह 'कूटकरण' करता है, यह कहा जाता है ;

स्पष्टीकरण 1 --कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो ।

स्पष्टीकरण 2—जब कि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे और सादृश्य ऐसा है कि तद्वद्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार

सदृश बनाता है उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था या वह यह सम्भाव्य जानता था कि तदद्वारा प्रवंचना की जाएगी ;

व्याख्या:

2(4) में कूटकरण की परिभाषा में निम्नलिखित तत्व हैं -

1. एक व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बना देता है।
2. वह ऐसा आशय या जानते हुए धोखा देने के लिए करता है और
3. समानता/कूटकरण का बिल्कुल सटीक होना ज़रूरी नहीं है। अगर समानता ऐसी हो कि कोई भी व्यक्ति धोखा खा जाए तो यह पर्याप्त है,

यदि घटक (1) और (3) मौजूद हैं, तो उपरोक्त (2) में आशय या ज्ञान माना जाएगा जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए।

अन्यथा (आशय या ज्ञान की कमी) साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा।

जब कोई व्यक्ति किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान बनाता है, दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के आशय से या यह जानते हुए कि धोखा किया जा रहा है, तो इस कृत्य को कूटकरण कहा जाता है। स्पष्टीकरण। यह स्पष्ट करता है कि नकल हूबहू हो आवश्यक नहीं, निकट कूटकरण भी जालसाजी के कृत्य के अंतर्गत आएगी।

स्पष्टीकरण 2 उपधारणा के प्रश्न से संबंधित है, इस मामले में न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि व्यक्ति का आशय प्रवंचना देने का है और उसे इसकी जानकारी है।

ऐतिहासिक निर्णय

एक चीज को दूसरी चीज के सदृश बनाया जाता है जिससे कोई व्यक्ति धोखा खा सकता है, कूटकरण करने का आशय या ज्ञान माना जाता है - आईपीसी की धारा 28 [BNS की धारा 2(4)] को लागू करने के लिए न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या एक चीज को दूसरी चीज के सदृश बनाया गया है और यदि ऐसा है और यदि समानता ऐसी है कि कोई व्यक्ति इससे धोखा खा सकता है, तो चीज को कूटकरण करने के लिए आवश्यक आशय या ज्ञान की धारणा होगी, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए। [पैरा 46] - के. हासिम बनाम टी.एन. राज्य एआईआर 2005 एससी 128।

नकली उत्पाद की पुष्टि के लिए मूल उत्पाद की सटीक प्रतिकृति आवश्यक नहीं है - यदि एक चीज को दूसरी चीज के समान बनाया जाता है और आशय यह है कि ऐसी समानता से धोखा दिया जाएगा या भले ही कोई आशय न हो लेकिन यह ज्ञात है कि समानता ऐसी है कि धोखा दिया जाएगा, तो कूटकरण होती है। आईपीसी की धारा 28 [बीएनएस की धारा 2(4)] में कूटकरण का अर्थ मूल चीज की हूबहू नकल नहीं है। धारा 28 का स्पष्टीकरण 2 बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक खंडनीय अनुमान निर्धारित करता है जहां समानता ऐसी है कि किसी व्यक्ति को इससे प्रवंचना किया जा सकता है। ऐसे मामले में आशय या ज्ञान को तब तक माना जाता है जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए। - के. हासिम बनाम टी.एन. एआईआर 2005 एससी 128।

दीना नाथ कपूर बनाम राज्य (1963) के मामले में यह माना गया है कि कंपनी के पुराने लेख पर कंपनी का ट्रेडमार्क लगाना कूटकरण नहीं है।

राज्य बनाम मथाई वर्गीस (1987) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह धारा अपराध की विषय-वस्तु को प्रतिबंधित नहीं करती है, विदेशी मुद्रा की नकल करना भी जालसाजी है।

(5) 'न्यायालय' से वह न्यायाधीश अभिप्रेत है, जिसे न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या उस न्यायाधीश-निकाय का, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश-निकाय न्यायिकतः कार्य कर रहा है ;

व्याख्या:

2(5) आईपीसी की धारा 20 के समरूप है

यह धारा स्पष्ट करती है कि न्यायाधीश न्याय का न्यायालय है। जब कानून न्यायाधीश को सशक्त बनाता है, तो वह न्यायिक रूप से कार्य करता है। न्यायालय केवल एक स्थान या भवन नहीं है जहाँ न्याय किया जाता है। न्यायिक रूप से कार्य करने वाले न्यायाधीश या न्यायाधीशों के निकाय को न्यायालय माना जाता है। **रॉयल एक्वेरियम और समर एंड विंटर गार्डन सोसाइटी लिमिटेड बनाम पार्किंसन (1892)** के मामले में प्रशासनिक क्षमता में कार्य करने वाला न्यायाधीश न्याय का न्यायालय नहीं है।

(6) "मृत्यु" से जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, **मानव की मृत्यु अभिप्रेत है;**

2(6)आईपीसी की धारा 46 के समरूप है

व्याख्या:

इस अधिनियम में जहाँ भी मृत्यु शब्द का उल्लेख किया गया है, वह मानव की मृत्यु को दर्शाता है, जब तक कि इसके विपरीत न हो। उदाहरण: सदोष मानव वध और हत्या की धारा में "मृत्यु कारित करने के आशय से" अभिव्यक्ति यहाँ मृत्यु मानव की मृत्यु को दर्शाती है।

(7) "बेईमानी से" से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो **एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे ;**

व्याख्या:

2(7) आईपीसी की धारा 24 के समरूप है

आवश्यक तत्व

1. किसी कार्य को करना और
2. किसी एक व्यक्ति को सदोष लाभ या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाने के आशय से किया जाने वाला कार्य।

किसी कार्य को मात्र करना 'बेईमानी' नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह किसी अन्य व्यक्ति को सदोष लाभ पहुँचाने या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाने के बुरे आशय से न किया गया हो।

इस धारा में आशय एक आवश्यक तत्व है जो एक व्यक्ति को सदोष लाभ पहुँचाने और दूसरे सदोष हानि पहुँचाने के दोषी मन को दर्शाता है। किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ तब प्राप्त होता है जब वह सदोष तरीके से अपने पास रखता है, साथ ही जब वह सदोष तरीके से अर्जित करता है। किसी व्यक्ति को सदोष तरीके से नुकसान तब होता है जब ऐसे व्यक्ति को सदोष तरीके से किसी संपत्ति से बाहर रखा जाता है, साथ ही जब ऐसे व्यक्ति को सदोष तरीके से संपत्ति से वंचित किया जाता है। किसी व्यक्ति को सदोष तरीके से लाभ या नुकसान पहुँचाने का आशय इस धारा के तहत महत्वपूर्ण बात है। यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक सदोष लाभ या हानि का परिणाम होना ही चाहिए।

'बेईमानी से' शब्द का प्रयोग अन्य बातों के साथ-साथ बीएनएस के निम्नलिखित प्रावधानों में किया गया है-

83	विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना
97	दस वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण
246	बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना
303	चोरी
308	उद्दापन
314	संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग
315	ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी
316	आपराधिक न्यासभंग
317	चुराई हुई संपत्ति

318	छल
320	लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना
321	ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना
322	अंतरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन
323	सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना
328	चोरी आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड
334	ऐसे पात्र को, जिसमें संपत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना
335	मिथ्या दस्तावेज़ रचना
339	धारा 337 या 338 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लेन का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना
340	कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इसे असली के रूप में उपयोग लाना
341	धारा 338 के अधीन दंडनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना
343	विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना

(8) "दस्तावेज" से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है, जिसको किसी पदार्थ पर **अक्षरों, अंकों या चिह्न** के साधन द्वारा, या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके

स्पष्टीकरण--यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिह्न बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं

दृष्टान्त.

(क) किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख, जो उस संविदा के भी साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है

- ख) बैंककार पर दिया गया चेक, दस्तावेज है
- ग) मुख्तारनामा, दस्तावेज है
- घ) मानचित्र या रेखांक, जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या भीजो उपयोग में लाया जा सके, दस्तावेज है
- ड) जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अन्तर्विष्ट हों, दस्तावेज है

स्पष्टीकरण 2--अक्षरों, अंकों या चिह्नों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के भी अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे भी अक्षरों, अंकों या चिह्नों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त भी न किया गया हो

दृष्टान्त

क एक विनिमयपत्र की पीठ पर, जो उसके आदेश के अनुसार देय है, अपना नाम लिख भी देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ यह है कि भीधारक को विनिमयपत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन एक दस्तावेज है और इसका भी अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाएगा मानो हस्ताक्षर के ऊपर "धारक को भुगतान करो" शब्द भी उस प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों

व्याख्या :

2(8) आईपीसी की धारा 29 के समरूप है

2(8) बी.एन.एस. के अनुसार दस्तावेजों में 'इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल अभिलेख' शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर दस्तावेज, संदेश, वेबसाइट, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल उपकरणों पर संग्रहीत वॉयस मेल संदेश दस्तावेज हैं (बीएसए की धारा 2(1)(c) देखें)

धारा 2(8) में "दस्तावेज" की परिभाषा में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

- (1) यह किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के माध्यम से या इनमें से एक से अधिक तरीकों से व्यक्त या वर्णित कोई भी विषय है।
- (2) यह बात विसंगत है कि अक्षर, आकृतियाँ या चिह्न किस माध्यम से या किस पदार्थ पर बने हैं।
- (3) जो कुछ भी व्यापारिक या अन्य प्रथा द्वारा स्पष्ट किए गए अक्षरों, अंकों या चिह्नों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसे इस खंड के अर्थ के भीतर ऐसे अक्षरों, अंकों या चिह्नों द्वारा व्यक्त किया गया माना जाएगा, हालांकि वह वास्तव में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ए अपने आदेश के अनुसार देय विनिमय पत्र के पीछे अपना नाम लिखता है। व्यापारिक प्रथा द्वारा स्पष्ट किए गए समर्थन का अर्थ यह है कि बिल का भुगतान धारक को किया जाना है। समर्थन एक दस्तावेज है, और इसे उसी तरह से समझा जाएगा जैसे कि "धारक को भुगतान करें" या उस आशय के शब्द हस्ताक्षर पर लिखे गए थे।
- (4) इस प्रकार अभिव्यक्त या वर्णित विषय उस विषय के साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए आशयित होना चाहिए या प्रयोग किए जाने योग्य होना चाहिए।
- (5) यह बात मायने नहीं रखती कि साक्ष्य न्यायालय के लिए है या नहीं, या उसका प्रयोग न्यायालय में किया जा सकता है या नहीं।

(6) 'दस्तावेज़' शब्द में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख शामिल हैं।

इस खंड में दस्तावेज़ का दायरा बहुत व्यापक है, परिभाषा में किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों या इनमें से एक से अधिक माध्यमों से व्यक्त या वर्णित किसी भी मामले का उल्लेख है। स्पष्टीकरण I स्पष्ट करता है कि अभिव्यक्ति के साधन और जिस पदार्थ पर उसे व्यक्त किया जाता है, वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। यह भी महत्वहीन है कि साक्ष्य न्यायालय के लिए अभिप्रेत है या नहीं या उसका उपयोग न्यायालय में किया जा सकता है या नहीं। स्पष्टीकरण II इस आशय की कल्पना बनाता है कि जो कुछ भी व्यापारिक या अन्य उपयोग द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है, उसे इस प्रकार व्यक्त माना जाएगा, भले ही उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति न हो।

'दस्तावेज़' शब्द का प्रयोग अन्य बातों के साथ-साथ बीएनएस के निम्नलिखित प्रावधानों में किया गया है-

2(28)	'लोक सेवक' की परिभाषा
2(31)	'मूल्यवान प्रतिभूति' की परिभाषा
2(34)	विल की परिभाषा
182	करेंसी नोटों या बैंक नोटों के सदृश रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग
183	सरकार को हानि कारित करने के आशय से, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना, जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है
201	लोक सेवक जो क्षति करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रखता है
206	सामनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना
207	समन की तमिल का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना
210	दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध, व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोप
228	मिथ्या साक्ष्य गढ़ना
241	साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना
335	मिथ्या दस्तावेज़ रचना
336	कूटरचना
337	न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना

338	मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना
339	धारा 337 या धारा 338 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचना जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना
340	कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना
341	धारा 338 के तहत दंडनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना
342	धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षण या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृति चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना
343	विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट, आदि करना
344	लेखा का मिथ्याकरण

(9) कपटपूर्वक -से **कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं**

व्याख्या:

बीएनएस की धारा 2(9) आईपीसी की धारा 25 के अनुरूप है

"कपटपूर्वक" की परिभाषा के विश्लेषण से निम्नलिखित बिंदु सामने आते हैं: -

- (1) किसी व्यक्ति के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कोई कार्य कपटपूर्वक किया है, जब तक कि वह कार्य धोखा देने के आशय से न किया गया हो।
- (2) किसी कार्य को केवल इसलिए कपट से किया गया नहीं कहा जा सकता कि उससे किसी को हानि होती है, जब तक कि वह कार्य धोखा देने के आशय से न किया गया हो।
- (3) यदि कार्य कपटपूर्ण आशय से किया गया हो तो यह पर्याप्त है।
- (4) इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरे को धोखा देने के अपने आशय में सफल होता है या नहीं।

इस खंड में परिभाषा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि "कपट करने का आशय" तत्व मौजूद होना चाहिए। कपट शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। **विमला बनाम दिल्ली प्रशासन (1963)** के मामले में यह माना गया कि "कपट" शब्द में धोखा देने और धोखा दिए गए व्यक्ति को चोट पहुँचाने का अनुमान है। धोखे का मतलब है झूठा प्रतिनिधित्व। कपट करने के लिए दूसरे व्यक्ति को धोखा देने का आशय होना बहुत ज़रूरी है।

कपटपूर्वक शब्द का प्रयोग अन्य बातों के साथ-साथ बीएनएस के निम्नलिखित प्रावधानों में किया गया है-

83	विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना
183	सरकार को हानि कारित करने आशय से, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना, जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है।
184	ऐसी सरकारी स्टाम्प उपयोग, जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है।
185	स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह का छीलकर मिटाना
243	संपत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना।
244	संपत्ति पर उसके समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक
245	ऐसी राशि के लिए, जो शोध नहीं हो, कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना
246	बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना
247	ऐसी राशि के लिए, जो शोध नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना
309	लूट
318	छल
320	लेनदारों में वितरण को निकरने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना।
321	ऋण के लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना
322	अंतरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन
323	संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना
335	मिथ्या दस्तावेज़ बनाना
339	धारा 337 या धारा 338 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना
340	कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना

341	धारा 338 के अधीन दंडनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना।
343	विल, दत्तकग्रहण प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक से रद्द, नष्ट आदि करना

(10) लिंग"-पुल्लिंग वाचक शब्द "वह" और उसके व्युत्पन्न का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला या उभयलिंगी

स्पष्टीकरण-'उभयलिंगी' का वह अर्थ होगा, जो उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा (2) के खंड (ट) में है

उक्त अधिनियम की धारा (के) में 'ट्रांसजेंडर' शब्द को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका लिंग जन्म के समय उसे सौंपे गए लिंग से मेल नहीं खाता है। 'ट्रांसजेंडर' शब्द में विशेष रूप से निम्नलिखित शामिल हैं -

1. ट्रांसमैन या ट्रांसवुमन (चाहे ऐसे व्यक्ति ने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी या हार्मोन थेरेपी या लेजर थेरेपी या ऐसी अन्य थेरेपी करवाई हो या नहीं),
2. अंतर लिंग भिन्नता वाले व्यक्ति
3. लिंगभेदी और
4. किन्नर, हिजड़ा, अरवानी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान रखने वाला व्यक्ति।

बीएनएस की धारा 2(10) आईपीसी की धारा 28 के अनुरूप है।

व्याख्या:

जहाँ भी सर्वनाम 'वह' का उल्लेख किया गया है, उसमें 'वह' और उसके व्युत्पन्न शब्द शामिल हैं, चाहे वे पुल्लिंग, स्त्रीलिंगी या ट्रांसजेंडर हों।

(11) "सद्भावपूर्वक"- कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती है, जो सम्यक् सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो

व्याख्या:

बीएनएस की धारा 2(11) आईपीसी की धारा 52 के अनुरूप है।

यह धारा नकारात्मक परिभाषा प्रदान करता है। यह शब्द की सटीक परिभाषा प्रदान नहीं करता है, बल्कि यह उल्लेख करता है कि सद्भावना में किया गया या माना गया कोई भी कार्य उचित देखभाल और ध्यान के बिना नहीं किया जाता है। सद्भावना शब्द को सामान्य खंड अधिनियम,

1897 की धारा 3(22) के तहत भी परिभाषित किया गया है। अच्छे आशय और उचित देखभाल महत्वपूर्ण कारक हैं।

सुखारू कोबीराज बनाम सम्राट (1887) के मामले में आरोपी ने मृतक के आंतरिक बवासीर का साधारण चाकू से ऑपरेशन किया, जिसके परिणामस्वरूप रक्तस्राव और रक्त की कमी से उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि यह कृत्य पहले भी किया जा चुका है। न्यायालय ने माना कि यह कृत्य सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है क्योंकि उसके पास सर्जरी में कोई डिग्री नहीं थी जो उसे कानूनी रूप से ऑपरेशन करने का हकदार बनाती हो।

(12) “सरकार” से **केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है**

इस धारा में और धारा 178 से धारा 181 तथा धारा 183 से धारा 185 तक में भी, जिनमें ये दोनों धाराएं भी समाविष्ट हैं, “सरकार” शब्द के अंतर्गत, जब भी वह डाक महसूल की दर के द्योतन के जारी से प्रचालित किए गए किसी स्टाम्प के ससंग या निर्देशन में उपयोग किया गया है, धारा 2 के खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, वह या वे व्यक्ति समझे जाएंगे जो भारत के किसी भाग में या किसी विदेश में, कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो

(13) “संश्रय” - **इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोलाबारूद या वाहन के साधन देना**, या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के इस खंड में प्रगणित हैं, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना, आता

बीएनएस की धारा 2(13) आईपीसी की धारा 52A के अनुरूप है

आवश्यक तत्व -

संश्रय में किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से गिरफ्तारी से बचने में सहायता करना शामिल है

सहायता किसी भी माध्यम से हो सकती है

सहायक उसी प्रकार के हो सकते हैं जैसे परिभाषा में बताए गए हैं। यह सूची भ्रामक है और संपूर्ण नहीं है।

शब्द “इस संहिता में अन्यथा प्रावधान के सिवाय” पति/पत्नी द्वारा आश्रय देने से संबंधित अपवाद को संदर्भित करता है जो एक अपवाद है, अपराध नहीं।

धारा 111, 113, 164, 249, 253 और 254 के तहत दिए गए अपवादों के कारण पति या पत्नी द्वारा शरण देना ‘भेजने’ की परिभाषा के दायरे से बाहर है।

शब्द संश्रय का प्रयोग अन्य बातों के साथ-साथ बीएनएस के निम्नलिखित धाराओं में किया गया है-

111	संगठित अपराध
113	आतंकवादी कृत्य
164	अभित्याजक को संश्रय देना
249	अपराधी को संश्रय देना
253	ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है
254	लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए

(14) “क्षति” से कोई अपहानि अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या सम्पत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो

व्याख्या:

बीएनएस की धारा 2(14) आईपीसी की धारा 44 के अनुरूप है।

यहाँ क्षति शब्द का इस्तेमाल बहुत व्यापक अर्थ में किया गया है, किसी भी व्यक्ति को शारीरिक (शारीरिक क्षति), मन (भावनात्मक क्षति), प्रतिष्ठा (प्रतिष्ठा/चरित्र को नुकसान) या संपत्ति (नुकसान में सभी तरह की चल, अचल, अमूर्त संपत्ति शामिल है) को पहुँचाई गई क्षति। इस धारा का आवश्यक तत्व यह है कि नुकसान अवैध रूप से पहुँचाया जाना चाहिए।

(15) “अवैध” और “करने के लिए वैध रूप से आबद्ध”-“अवैध” शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है, जो अपराध हो, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हों, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो; और कोई व्यक्ति उस बात को “करने के लिए वैध रूप से आबद्ध” कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है

व्याख्या:

बीएनएस की धारा 2(15) आईपीसी की धारा 43 के अनुरूप है।

इस संहिता के निम्नलिखित प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ ‘अवैध’ शब्द का प्रयोग किया गया है

3(4)	कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों में अवैध लोप शामिल हैं
45	किसी बात का दुष्प्रेरण
46	दुष्प्रेरक
59	किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है
60	कारावास से दण्डनीय अपराध करने की कल्पना को छिपाना
61	आपराधिक षडयंत्र
112	छोटे संगठित अपराध
119	संपत्ति उद्घापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना
127	सदोष परिरोध
148	धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र
150	युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना
176	निर्वाचन के सिलसिले अवैध संदाय
192	बलवा करने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना- यदि बलवा न किया जाए
220	लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना
262	किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा
263	किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा
265	अन्यथा अनूपबंधित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना
270	लोक नुर्सेस

अवैध शब्द हर उस चीज़ पर लागू होता है जो अपराध है या जो विधि द्वारा निषिद्ध है। यहाँ अवैध का इस्तेमाल व्यापक अर्थ में किया गया है; इसमें विधि द्वारा निषिद्ध वाक्यांश शामिल है। किसी तरह के विधि में निषेध का उल्लेख होना चाहिए। इसमें ऐसी किसी चीज़ का उल्लेख है जो दीवानी कार्रवाई के लिए आधार प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है जिसके लिए दीवानी न्यायालय में कार्रवाई की जा सकती है, तो उसका कार्य इस धारा के तहत अवैध है। इसलिए, संविदा का उल्लंघन या न्यासभंग इस धारा के तहत 'अवैध' है क्योंकि यह दीवानी कार्रवाई के लिए आधार प्रदान करता है।

‘विधिक रूप से करने के लिए बाध्य’ का अर्थ है वह कार्य जिसे करने के लिए व्यक्ति बाध्य है। किसी व्यक्ति की ओर से कोई लोप जो उसे अवैध लोप बनाती है, ऐसा कार्य है जिसे करने के लिए वह विधिक रूप से बाध्य है।

(16) “न्यायाधीश” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो **आधिकारिक तौर पर** न्यायाधीश के रूप में **अभिहित** किया गया है, इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है

(i) जो किसी **विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दाण्डिक, अन्तिम निर्णय या ऐसा निर्णय, जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अन्तिम हो जाए या ऐसा निर्णय, जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अन्तिम हो जाए**, देने के लिए, विधि द्वारा सशक्त किया गया हो ;

(ii) जो उस **व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो**

दृष्टान्त.

किसी आरोप के संबंध में, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दण्ड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो. या न होती हो, न्यायाधीश है

व्याख्या:

बीएनएस की धारा 2(16) आईपीसी की धारा 19 के अनुरूप है

इस धारा के अनुसार न्यायाधीश में 3 श्रेणियां शामिल हैं:

- a. जिसे आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है, जैसे: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, सहायक न्यायाधीश आदि।
- b. इस श्रेणी में किसी भी न्यायिक कार्यवाही में विधिक कार्यवाही का होना महत्वपूर्ण है और व्यक्ति के पास निर्णय देने के लिए विधिक अधिकार होना चाहिए। उदाहरण: एक मजिस्ट्रेट तब न्यायाधीश होता है जब वह विधिक कार्यवाही में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा होता है।

बिशन लाल बनाम राज्य (1954) मामले में यह माना गया कि उच्च न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए शपथपत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दे सकता।

जो निकाय या व्यक्तियों में से एक है, जो निकाय या व्यक्तियों के निकाय को विधि द्वारा ऐसा निर्णय देने का अधिकार है

इस श्रेणी में जो निकाय या व्यक्तियों में से एक है, जो निकाय या व्यक्तियों के निकाय को विधि द्वारा ऐसा निर्णय देने का अधिकार है, उदाहरण के लिए: मध्यस्थ।

(17) "जीवन" से, जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है

बीएनएस की धारा 2 (17) आईपीसी की धारा 45 के अनुरूप है

(18) "स्थानीय विधि" से वह विधि अभिप्रेत है जो **भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू है**
बीएनएस की धारा 2(18) आईपीसी की धारा 42 के अनुरूप है

(19) "पुरुष" से **किसी भी आयु का मानव नर** अभिप्रेत है

बीएनएस की धारा 2(19) आईपीसी की धारा 10 के अनुरूप है

(20) "मास" और "वर्ष"-जहां कहीं "मास" शब्द या "वर्ष" शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां यह समझा जाना है कि मास या वर्ष की गणना **ग्रेगोरियन कैलेंडर** के अनुसार की जानी है

बीएनएस की धारा 2(20) आईपीसी की धारा 49 के अनुरूप है

*** पहले यह ब्रिटिश कैलेंडर था जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूप में संशोधित नहीं किया गया था**

(21) "जंगम सम्पत्ति" के अंतर्गत, भूमि और वे चीजें, जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, के सिवाय प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति आती है

बीएनएस की धारा 2(21) आईपीसी की धारा 22 के अनुरूप है

2(21) में चल संपत्ति का दायरा भौतिक रूप में संपत्ति तक सीमित नहीं है, आईपीसी की धारा 22 में परिभाषा के विपरीत 2(21) में 'संपत्ति' शब्द से पहले 'भौतिक को शामिल करने का इरादा है' शब्द को छोड़ दिया गया है, जो आईपीसी की धारा 22 में चल संपत्ति की परिभाषा में था।

ऐसा प्रतीत होता है कि इसके परिणामस्वरूप, धारा 112/303 बीएनएस के अंतर्गत चोरी के अपराध में अमूर्त संपत्ति की चोरी, डेटा की चोरी और पहचान की चोरी भी शामिल होगी।

(22) "वचन" जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, एकवचन के घोटक शब्दों में बहुवचन सम्मिलित होता है, और बहुवचन के घोटक शब्दों में एकवचन सम्मिलित होता है

बीएनएस की धारा 2(22) आईपीसी की धारा 9 के अनुरूप है

(23) “शपथ” के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिजान और ऐसी कोई घोषणा, जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, आती है

बीएनएस की धारा 2(23) आईपीसी की धारा 51 के अनुरूप है

(24) “अपराध”-उपखंड (क) और उपखंड (ख) में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं में के सिवाय, “अपराध” शब्द से इस संहिता द्वारा दण्डनीय की गई कोई बात अमिप्रेत है, किंतु (a)(क) अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं, अर्थात् धारा 8 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), धारा 9, धारा 49, धारा 50, धारा 52, धारा 54, धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 58, धारा 59, धारा 60, धारा 61, धारा 119, धारा 120, धारा 123, धारा 127 की उपधारा (7) और उपधारा (8), धारा 222, धारा 230, धारा 231, धारा 240, धारा 248, धारा 250, धारा 251, धारा 259, धारा 260, धारा 261, धारा 262, धारा 263, धारा 308 की उपधारा (6) और उपधारा (7) तथा धारा 330 की उपधारा (2) में “अपराध” शब्द से इस संहिता के अधीन, या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दण्डनीय कोई बात अभिप्रेत है; औ धारा 189 की उपधारा (1), धारा 211, धारा 212, धारा 238, धारा 239, धारा 249, धारा 253 और धारा 329 की उपधारा (1) में “अपराध” शब्द का अर्थ उस दशा में वही है, जिसमें विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दण्डनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन छह मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित, दण्डनीय हो

बीएनएस की धारा 2(24) आईपीसी की धारा 40 के अनुरूप है

ऐतिहासिक निर्णय - अपराध का अर्थ है ऐसा कार्य जो कानून के विपरीत हो या निषिद्ध हो - 'अपराध' का अर्थ है ऐसा कार्य या अपराध करने का उदाहरण; कोई अवैध कार्य करना और अवैध साधन जो कानून के विपरीत हो या निषिद्ध हो। अपराध को इस संदर्भ में पढ़ा और समझा जाना चाहिए क्योंकि यह इस खंड के तहत और बीएनएसएस की धारा 2(क्यू) या सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 3(38) के तहत निर्धारित किया गया है। [पैरा 20] एस. खुशबू बनाम कन्नियाम्मल एआईआर 2010 एससी 3196

(25) “लोप” **लोपों की आवलि का उसी प्रकार द्योतक है**, जिस प्रकार **एकत्र लोप** का बीएनएस की धारा 2(25) आईपीसी की धारा 33 के अनुरूप है

(26) “व्यक्ति” के अन्तर्गत **कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, आता है**

बीएनएस की धारा 2(26) आईपीसी की धारा 11 के अनुरूप है

ऐतिहासिक निर्णय

कंपनी को अभियोजन से कोई छूट नहीं है, क्योंकि इसके लिए कारावास की सजा होगी - किसी भी कंपनी को गंभीर अपराधों के लिए किसी भी अभियोजन से कोई छूट नहीं है, क्योंकि

अभियोजन के लिए अंततः अनिवार्य कारावास की सजा होगी। कॉर्पोरेट निकाय, जैसे कि एक फर्म या कंपनी ऐसी कई गतिविधियाँ करती हैं जो नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्रभावित करती हैं। विभिन्न निगमों द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएँ की जाती हैं। कॉर्पोरेट वाहन अब औद्योगिक, वाणिज्यिक और समाजशास्त्रीय क्षेत्रों के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं कि स्थिर अर्थव्यवस्था के साथ एक शांतिपूर्ण समाज के लिए निगम का आपराधिक कानून के लिए उत्तरदायी होना आवश्यक है। [पैरा 63] - स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बनाम प्रवर्तन निदेशालय AIR 2005 SC 2622।

(27) “लोक” के अन्तर्गत **कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है ;**

बीएनएस की धारा 2(27) आईपीसी की धारा 12 के अनुरूप है

(28) “लोक सेवक” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी के अधीन आता है, अर्थात् :--

(क) सेना, नौसेना या वायु सेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी

(ख) प्रत्येक न्यायाधीश, जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्यायनिर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो

(ग) न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, जिसके अन्तर्गत समापक, रिसीवर या कमिश्नर आता है, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे, या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे, या रखे, या किसी सम्पत्ति का भार सम्माले या उस सम्पत्ति का व्ययन करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे और प्रत्येक व्यक्ति, जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है

(घ) किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर या पंचायत का सदस्य

(ङ) प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसको किसी न्यायालय द्वारा, या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा, कोई मामला या विषय, विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया है

(च) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता हो, जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त हो

(छ) सरकार का प्रत्येक अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे, या लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे

(ज) प्रत्येक अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन-संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या सरकार के धन-संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे, या सरकार के धन-संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रौके,

(झ) प्रत्येक अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करे, या कोई रेट या कर उद्गृहीत करे, या किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों के अभिनिश्चय करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणीकृत करे या रखे

(ज) प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने, या पुनरीक्षित करने के लिए या निर्वाचन या निर्वाचन के किसी आग को संचालित करने के लिए सशक्त हो

(ट) प्रत्येक व्यक्ति, जो-

- (i) सरकार की सेवा या वेतन में है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है
- (ii) साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 के खंड (31) में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी की, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कम्पनी की सेवा या वेतन में है

स्पष्टीकरण-

(क) इस खंड में किए गए वर्णनों में से किसी के अधीन आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं

(ख) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किया हुआ है, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में किसी भी विधिक त्रुटि हो, लोक सेवक है

(ग) "निर्वाचन" से किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन से कोई निर्वाचन अभिप्रेत है, चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो, जिसके लिए चयन करने की पद्धति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन है

दृष्टान्त

नगरपालिका आयुक्त, लोक सेवक है

बीएनएस की धारा 2(28) आईपीसी की धारा 21 के अनुरूप है
परिभाषा से जूरीमैन का संदर्भ हटा दिया गया है। स्थानीय प्राधिकारी को सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड (31) और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) का संदर्भ देकर परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा खंड में कुल 11 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है।

ऐतिहासिक निर्णय

बीएनएस/आईपीसी और महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम समान विधि नहीं हैं - यह निस्संदेह सच है कि महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया है और इस तरह के विधि बनाने की उनकी शक्तियां संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 32 से ली गई हैं। विधानमंडल ने धारा 161 में बेशक बीएनएस की धारा 2(28) के प्रावधानों का उल्लेख किया है लेकिन ऐसा संदर्भ संबंधित अधिकारियों को बीएनएस की धारा 2(28) के दायरे में 'लोक सेवक' नहीं बनाता है। बीएनएस और महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम समान कानून नहीं हैं। सहकारी समिति अधिनियम अपने स्वयं के प्रावधानों के साथ एक पूरी तरह से

आत्मनिर्भर कानून है और इसने बीएनएस में अपराधों से काफी अलग विशिष्ट अपराध बनाए हैं।
[पैरा 6] - महाराष्ट्र राज्य बनाम लालजीत राजशी शाह एआईआर 2000 एससी 937।

(29) "विश्वास करने का कारण" कोई व्यक्ति किसी बात का "विश्वास करने का कारण" रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है, अन्यथा नहीं।

बीएनएस की धारा 2(29) आईपीसी की धारा 26 के अनुरूप है

पर्याप्त कारण की व्याख्या व्यक्तिपरक रूप से की जा सकती है लेकिन यह तर्कसंगतता के परीक्षण के अधीन है।

(30) "विशेष विधि" से वह विधि अभिप्रेत है, जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो

बीएनएस की धारा 2(30) आईपीसी की धारा 41 के अनुरूप है

(31) "मूल्यवान प्रतिभूति" से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है, जो ऐसी दस्तावेज है, या होना तात्पर्यित है, जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अन्तरित, निर्बन्धित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकृत करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है

बीएनएस की धारा 2(31) आईपीसी की धारा 30 के अनुरूप है

(32) "जल्ल्यान" से कोई चीज अभिप्रेत है, जो मानवों के या सम्पत्ति के जल द्वारा प्रवरण के लिए बनाई गई हो

बीएनएस की धारा 2(32) आईपीसी की धारा 48 के अनुरूप है

(33) "स्वेच्छया" --कोई व्यक्ति किसी परिणाम को "स्वेच्छया" कारित करता है, यह तब कहा जाता है, जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था, या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है
दृष्टान्त.

क लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहां क का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है तो भी यदि वह यह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे तो उसने स्वेच्छया मृत्यु कारित की है

बीएनएस की धारा 2(33) आईपीसी की धारा 39 के अनुरूप है

'स्वेच्छा से' की परिभाषा के तत्व

स्वेच्छिकता का तात्पर्य वहां लगाया जा सकता है जहां जानबूझकर ज्ञान उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसने उस प्रभाव को उत्पन्न किया है। किसी व्यक्ति को "स्वेच्छा से" प्रभाव उत्पन्न करने वाला तब कहा जाता है जब वह उस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए जिस साधन का उपयोग करता है, या जिस साधन का उपयोग करते समय वह जानता था या जिसके बारे में उसे विश्वास था कि वह प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।

2(34) "विल" से कोई वसीयती दस्तावेज अभिप्रेत है

व्याख्या :

बीएनएस की धारा 2(34) आईपीसी की धारा 31 के अनुरूप है

वसीयत का अर्थ है वसीयत बनाने वाले द्वारा यह घोषणा करना कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का वितरण या प्रशासन किस प्रकार किया जाएगा। धारा 2(h), भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 और धारा 3(64), सामान्य खंड अधिनियम, 1897 भी वसीयत को परिभाषित करते हैं। वसीयत में कोडिसिल और संपत्ति के स्वैच्छिक मरणोपरांत निपटान से संबंधित हर लेखन शामिल है।

(35) "महिला" से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है

बीएनएस की धारा 2(35) आईपीसी की धारा 10 के अनुरूप है

(36) "सदोष अभिलाभ" से विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ अभिप्रेत है, जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार न हो

बीएनएस की धारा 2(36) आईपीसी की धारा 23 के अनुरूप है

(37) "सदोष हानि" से विधिविरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति की हानि अभिप्रेत है, जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो

बीएनएस की धारा 2(37) आईपीसी की धारा 23 के अनुरूप है

(38) “सदोष अभिलाभ प्राप्त करना” और “सदोष हानि उठाना”-- कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जब कि वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है और तब भी जबकि वह सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है, जब कि उसे किसी सम्पत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और तब भी जबकि उसे किसी सम्पत्ति से सदोष वंचित किया जाता है ; और

बीएनएस की धारा 2(38) आईपीसी की धारा 23 के अनुरूप है

(39) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और **इस संहिता में परिभाषित नहीं हैं**, किन्तु **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं परन्तु इस संहिता में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरी) संहिता, 2023 से लिया जाएगा

धारा 2(39) कब लागू होती है - धारा 2(39) स्वतः लागू नहीं होती है जब बी.एन.एस. के किसी प्रावधान में प्रयुक्त कोई शब्द या अभिव्यक्ति न तो उस प्रावधान में परिभाषित है और न ही धारा 2 के खंड (1) से (38) में से किसी में परिभाषित है। यह बी.एन.एस. की धारा 3(2) के मद्देनजर है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक अभिव्यक्ति जो इस संहिता (बी.एन.एस.) के किसी भी भाग में स्पष्ट की गई है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में स्पष्टीकरण के अनुरूप प्रयोग की जाती है।

इसलिए, धारा 2(39) को लागू करने और बीएनएसएस या आईटी अधिनियम, 2000 में परिभाषाओं पर वापस जाने से पहले, किसी को यह जांचना चाहिए कि क्या शब्द या अभिव्यक्ति बीएनएस की धारा 2 या बीएनएस के किसी अन्य प्रावधान में परिभाषित है। धारा 2(39) केवल तभी लागू होगी जब कोई शब्द या अभिव्यक्ति बीएनएस के किसी प्रावधान में परिभाषित नहीं है।

धारा 2(39) के आवेदन का उदाहरण

"सामुदायिक सेवा" शब्द का प्रयोग बी.एन.एस. की धारा 4, 202, 209, 226, 303, 355 और 356 में किया गया है। हालाँकि, इसे धारा 2 में परिभाषित नहीं किया गया है। न ही बी.एन.एस. के किसी अन्य प्रावधान में इसकी व्याख्या की गई है। इसलिए, किसी को यह जाँचना होगा कि क्या यह शब्द बी.एन.एस.एस. में परिभाषित है या आईटी अधिनियम, 2000 में।

"सामुदायिक सेवा" शब्द को आईटी अधिनियम, 2000 में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन बीएनएसएस में धारा 23(3) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, इसलिए बीएनएस की धारा 4, 202, 209, 226, 303, 355 और 356 के प्रयोजनों के लिए, 'सामुदायिक सेवा' शब्द को बीएनएसएस की धारा 23(3) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित के रूप में समझा जाना चाहिए।